अ0मु0न्या0दं0–प्रथम
सी0आर0 सं0– 295 / 2024
सी0आई0एस सं0– 295 / 2024
दिनांक– 04.05.2026

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी– प्रथम, बिरौल

सी0आर0 संख्या–295 / 2024
सी.आई.एस. संख्या–295 / 2024

04.05.2026 परिवादी शंभु साह कि ओर से यह परिवाद पत्र दाखिल किया गया। परिवादी को कई अवसर देने के बाद भी सुनवाई हेतु परिवादी उपस्थित नहीं हुई। परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चली आ रही है। इससे यह दर्शित होता है कि परिवादी को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं रह गया है।

अतः यह न्यायालय उपरोक्त परिवादपत्र को अदम पैरवी में **खारिज** करती है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी– प्रथम
बिरौल
दिनांक– 04.05.2026